



छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम लिमिटेड

कार्यालय - मण्डल प्रबंधक, कोटा परियोजना मण्डल, बिलासपुर (छ.ग.)

रामकृष्ण कालोनी, मंगला रोड, बिलासपुर, दूरभाष क्र. 07752-271572 फैक्स नं. 418735

E - mail ID - dm\_kpdn@rediff.com

### वाहन विक्रय हेतु निविदा का प्रारूप

1. निविदाकार का नाम :- .....
2. आत्मज :- .....
3. निविदाकार का वर्तमान पता :- .....
4. निविदाकार का स्थाई पता :- .....
5. पेन कार्ड की छायाप्रति :- .....


क्र.	वाहन का प्रकार	वाहन क्रमांक	निविदाकार के द्वारा वाहन क्रय हेतु प्रस्तुत दर
1	3	2	4
1	पिकअप बोलेरो	C.G.-10-C-1553	
2	मारुती वेन	C.G.-10-F-1764	
3	टाटा मैजिक	C.G.-10-J-1627	
4	महिन्द्रा पिकअप	C.G.-10-C-1018	
5	बजाज डिसकवर	C.G.-10-EH-1762	
6	मेक्स पिकअप	C.G.-10-A-6412	
7	स्वराज माजदा	C.G.-10-A-2711	
8	टाटा मेटाडोर	C.G.-10-ZB-0299	
9	टाटा मेटाडोर	M.P.-10-GA-1856	

निविदाकार को प्रत्येक वाहन के लिए अमानत की राशि पृथक-पृथक बैंक ड्राफ्ट द्वारा प्रस्तुत किया जाना है।

6. अमानत की राशि का बैंक ड्राफ्ट का क्रमांक एवं दिनांक :- .....
7. संबंधित बैंक का नाम/ब्रांच/स्थल :- .....

निविदा की समस्त शर्तों का मेरे द्वारा अध्ययन कर लिया गया है, सभी शर्तें मुझे मान्य हैं।  
(अंकित शर्तों में निविदाकार का हस्ताक्षर आवश्यक है।)

निविदाकार के हस्ताक्षर



छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम लिमिटेड

कार्यालय - मण्डल प्रबंधक, कोटा परियोजना मण्डल, बिलासपुर (छ.ग.)

रामकृष्ण कालोनी, मंगला रोड, बिलासपुर, दूरभाष क्र. 07752-271572 फॅक्स नं. 418735

E - mail ID - dm\_kpdn@rediff.com

**विषय :- राजसात वाहनों के निर्वतन हेतु निविदा की शर्तें**

1. क्रेता को निविदा फार्म के साथ अमानत राशि बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से मण्डल प्रबंधक, कोटा परियोजना मण्डल, बिलासपुर (छ.ग.) के पक्ष में जमा करना होगा। जो भारतीय स्टेट बैंक शाखा बिलासपुर में देय हो, प्रत्येक वाहन के लिये पृथक-पृथक निविदा स्वीकार्य होगा। निविदा देने के बाद वाहन के हालत के संबंध में कोई विवाद मान्य नहीं होगा।
2. अपसेट प्राईज के बराबर तथा उससे अधिक निविदा दर प्राप्त होने पर निविदाकार के पक्ष में विक्रय की स्वीकृति क्षेत्रीय महाप्रबंधक, छ.ग.राज्य वन विकास निगम लिमि., बिलासपुर के द्वारा दी जावेगी, किन्तु बिना कारण बताये निविदा स्वीकृत/अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता को होगा।
3. विक्रय स्वीकृत होने पर स्वीकृति आदेश क्षेत्रीय महाप्रबंधक, छ.ग.राज्य वन विकास निगम लिमि., बिलासपुर द्वारा जारी किया जावेगा। स्वीकृति आदेश दिनांक को मिलाकर 10 दिवस के भीतर विक्रय की शेष राशि (वेटकर/सरचार्ज एवं अन्य कर सहित) बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से जो कि मण्डल प्रबंधक, कोटा परियोजना मण्डल, बिलासपुर (छ.ग.) के नाम पर बिलासपुर स्थित किसी राष्ट्रीयकृत बैंक का हो, देय होगा। समय पर राशि जमा नहीं करने पर विक्रय निरस्त किया जावेगा एवं अमानत की राशि शासन के पक्ष में राजसात की जावेगी। संपूर्ण राशि का भुगतान प्राप्त होने पर वाहन जिस स्थिति में जहाँ, वही से संबंधित व्यक्ति को प्रदाय किया जावेगा। वाहन 30 दिवस के भीतर उठाना अनिवार्य होगा अन्यथा भूमि भाड़ा देय होगा।
4. वाहन की डिलीवरी प्राप्त होने के बाद वाहन का निजी मालिक होने के लिए "क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी" से नामांतरण/पंजीयन प्राप्त कर वाहन का उपयोग करेंगे।
5. निविदा तिथि से वाहन डिलीवरी तिथि तक किसी प्रकार का विवाद का निपटारा हेतु मण्डल प्रबंधक, कोटा परियोजना मण्डल, बिलासपुर (छ.ग.) सक्षम होंगे। किसी न्यायालय में चुनौती मान्य नहीं होगी।

मण्डल प्रबंधक

कोटा परियोजना मण्डल  
बिलासपुर (छ.ग.)



छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम लिमिटेड  
कार्यालय - मण्डल प्रबंधक, कोटा परियोजना मण्डल, बिलासपुर (छ.ग.)

रामकृष्ण कालोनी, मंगला रोड, बिलासपुर, दूरभाष क्र. 07752-271572 फैक्स नं. 418735

E - mail ID - dm\_kpdm@rediff.com

अंतिम रूप से राजसात वाहनों का निर्वर्तन

क्र.	वाहन का प्रकार	वाहन क्रमांक	वाहन जहाँ अवलोकन हेतु उपलब्ध रहेगा।
1	3	2	4
1	पिकअप बोलेरो	C.G.-10-C-1553	कोटा काष्ठागार, कोटा
2	मारुती वेन	C.G.-10-F-1764	कोटा काष्ठागार, कोटा
3	टाटा मैजिक	C.G.-10-J-1627	कोटा काष्ठागार, कोटा
4	महिन्द्रा पिकअप	C.G.-10-C-1018	कोटा काष्ठागार, कोटा
5	बजाज डिसकवर	C.G.-10-EH-1762	कोटा काष्ठागार, कोटा
6	मेक्स पिकअप	C.G.-10-A-6412	कोटा काष्ठागार, कोटा
7	स्वराज माजदा	C.G.-10-A-2711	कोटा काष्ठागार, कोटा
8	टाटा मेटाडोर	C.G.-10-ZB-0299	कोटा काष्ठागार, कोटा
9	टाटा मेटाडोर	M.P.-10-GA-1856	कोटा काष्ठागार, कोटा

शर्तें

1. मण्डल कार्यालय, बिलासपुर से निविदा फार्म रु. 100/- नकद जमा कर प्राप्त किया जा सकता है।
2. निविदा प्रपत्र के साथ चार पहिया वाहन के लिए रु. 5000/- का अमानत की राशि बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से कोटा परियोजना मण्डल, बिलासपुर (छ.ग.) के नाम पर जमा करना होगा जो बिलासपुर स्थित राष्ट्रीयकृत बैंक में देय हो।
3. निविदा प्रपत्र एवं बैंक ड्राफ्ट में बंद कर प्रस्तुत/प्रेषित किया जायें तथा बंद लिफाफा के ऊपर वाहन क्रय हेतु निविदा लिखकर लिफाफा में निविदाकार का नाम पता लिखा हो।
4. प्रत्येक वाहन के लिए अमानत की राशि पृथक-पृथक बैंक ड्राफ्ट द्वारा प्रस्तुत/प्रेषित किया जावे।
5. किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में निपटारा/निर्णय के लिए मण्डल प्रबंधक को पूर्ण अधिकार होगा तथा उनके द्वारा लिए गए निर्णय ही सर्वमान्य होगा।
6. अन्य शर्तें निविदा प्रपत्र में दी गई है।

मण्डल प्रबंधक  
कोटा परियोजना मण्डल  
बिलासपुर (छ.ग.)



छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम लिमिटेड  
कार्यालय - मण्डल प्रबंधक, कोटा परियोजना मण्डल, बिलासपुर (छ.ग.)

रामकण्ठ कालोनी, मंगला रोड, बिलासपुर, दूरभाष क्रं. 07752-271572 फ़ैक्स नं. 418735

E - mail ID - dm\_kpdn@rediff.com

क्र./वविनि/के.पी./पी.ओ.आर./2017/..800..../


बिलासपुर/दिनांक 15.05.17

निविदा

सर्वसाधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि वमण्डल अंतर्गत 09 राजसात वाहन "जहाँ है जैसी हालत में है" के विक्रय हेतु मुहरबंद निविदा निविदा निम्नांकित तिथियों के दोपहर 02:00 बजे तक मण्डल कार्यालय, बिलासपुर (छ.ग.) में आमंत्रित की जाती है :-

1. प्रथम निविदा आमंत्रण दिनांक 24.05.2017
2. द्वितीय निविदा आमंत्रण दिनांक 31.05.2017
3. तृतीय निविदा आमंत्रण दिनांक 07.06.2017

प्राप्त निविदा उसी दिन सायं 04:00 बजे मण्डल कार्यालय बिलासपुर में खोली जावेगी। राजसात वाहनों के निर्वर्तन हेतु निविदा की शर्तें/विस्तृत जानकारी वन विकास निगम के वेबसाईड [www.egrvvn.com](http://www.egrvvn.com) में देखा जा सकता है।

  
मण्डल प्रबंधक

कोटा परियोजना मण्डल  
बिलासपुर (छ.ग.)